

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
4761 वर्ष 2026

श्रीकांत और 3 अन्य आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	पंकज सत्संगी
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एजीए को सुना।
- बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदकों द्वारा विशेष सत्र मुकदमा संख्या 2874 सन् 2025 में धारा 310(2) बी. एन. एस. के तहत अपनी गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर थाना अलापुर, जिला बँदायूँ में दायर की गई है।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त/आवेदको निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित मामला संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है। संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना संज्ञान लेने के बाद आवेदकों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त श्रीमती शारदा और श्रीमती माहेश्वरी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 3635 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। उक्त अग्रिम जमानत आदेश की एक प्रति अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न है। संबंधित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त/आवेदकों ने कुछ अन्य सह-अभियुक्तों के साथ विपक्षी संख्या 2 के घर में प्रवेश किया, उसके परिवार के सदस्यों को पीटा और कुछ नकदी और आभूषण लूट लिए। यह शिकायत विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र) के समक्ष दायर की गई है। डकैती के अपराध की धाराओं का इस्तेमाल इसे जघन्य अपराध का

रूप देने के लिए किया गया है। यह बताया गया है कि अभियुक्त/आवेदकों सहित उनके परिवार के सभी छह सदस्यों को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्हें गिरफ्तारी का डर है और वे अग्रिम जमानत की मांग कर रहे हैं।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों की अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

5. अग्रिम जमानत की सीमा और परिधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट की गयी है, अर्थात् **गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565**, **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** और **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1** शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

6. इस न्यायालय ने मामले में आरोप की गंभीरता और गिरफ्तारी की आशंका तथा भागने के कम जोखिम पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकों ने अग्रिम जमानत का मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

7. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदको- **श्रीकांत, मोहित, गौरव और ब्रजमोहन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 25,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे नहीं।

(iii) आवेदको को विचारण न्यायालय के समक्ष इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा (i) मामले की शुरुआत (ii) आरोप तयकिये जाने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत कथन दर्ज किये जाने की तिथियों पर

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

16 जून, 2026

एसके श्रीवास्तव

(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति)